न्याय

प्रकरण संख्या: 92/2022

प्रार्थीगण

२०/०८/२२. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से जरिये श्रीमान वकील श्री डाबराम गोदारा उपस्थित हुए। बहस सुनी गई। आदेश अलग से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णीत होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:11:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 92/2022

प्रार्थीगण :-

1. दीपाराम पुत्र सोनाराम
2. रूपाराम पुत्र सोनाराम
3. कालूराम पुत्र सिमरथाराम
4. चेतनराम पुत्र सिमरथाराम
5. घमण्डाराम पुत्र सिमरथाराम
6. भैराराम पुत्र सिमरथाराम
7. धनीदेवी पत्नी सिमरथाराम
8. जोगाराम पुत्र चेनाराम
9. नवलाराम पुत्र चेनाराम
10. वनाराम पुत्र चेनारारम
11. बन्शाराम पुत्र चेनाराम
12. भूराराम पुत्र चेनाराम
13. हीराराम पुत्र चेनाराम
14. जमनादेवी पत्नी चेनाराम
15. मोमताराम पुत्र सिमरथाराम फौत के कायम मुकाम :-
    15/1 जीयोदेवी पत्नी मोमताराम
    15/2 खेताराम नाबालिग कुदरती वली माता जीयादेवी पत्नी मोमताराम
    जाति जाट निवासी शिवपुरा ग्राम पंचायत नेहरों का वास तहसील गुड़ामालानी

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. केसाराम पुत्र दौलाराम
2. वनाराम पुत्र दौलाराम
3. पूराराम पुत्र दौलाराम
   कौम जाट साकिन रावलीनाडी ग्राम पंचायत नेहरों का वास
4. रतनाराम पुत्र धर्माराम
5. दमाराम पुत्र धर्माराम
6. नवलाराम पुत्र जेठाराम
7. हरखाराम पुत्र दुर्गाराम
8. मालाराम पुत्र जालाराम
9. मूलाराम पुत्र जालाराम
10. रामाराम पुत्र वालाराम
11. धीराराम पुत्र वालाराम
    कौम जाट साकिन शिवपुरा ग्राम पंचायत नेहरों का वास
12. भीखाराम पुत्र जुगताराम कौम ब्राहमण
13. करनाराम पुत्र गुणेशाराम कौम जाट
14. बुधारामपुत्र चम्पाराम
15. मनोहर पुत्र चम्पाराम
16. गुलाबी पत्नी चम्पाराम कौम गायणा साकिन गोलिया ग[illegible]खडाली
17. आम्बाराम पुत्र धूडाराम
18. गोरधनराम पुत्र धूडाराम
19. जोधाराम पुत्र अनाराम
20. पोकर पुत्र अना
21. सूखा पुत्र अना
22. नाराणाराम पुत्र धूकलाराम
23. नारणा पुत्र हरूराम
24. नारणा पुत्र ठाकरराम
    कौम विश्नोई निवासी गोलिया गर्वा, ग्राम पंचायत खडाली
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी/नौखडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:11:38 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा [illegible]

दिनांक :– 02.08.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2078 से स्थाई ग्राम मंगले की बेरी के खेत खसरा नम्बर 65/1 रकबा 4.7105 हैक्टेयर, ग्राम गोलिया गर्वा के खेत खसरा नम्बर 174, 174/2 रकबा 3.9416, 14.1478 हैक्टेयर एवं ग्राम शिवपुरा के खेत खसरा नम्बर 1, 6 रकबा क्रमशः 9.5991, 5.2690 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा ग्राम मंगले की बेरी के खेत खसरा नम्बर 65/1 रकबा 4.7105 हैक्टेयर, ग्राम गोलिया गर्वा के खेत खसरा नम्बर 174, 174/2 रकबा 3.9416, 14.1478 हैक्टेयर एवं ग्राम शिवपुरा के खेत खसरा नम्बर 1, 6 रकबा क्रमशः 9.5991, 5.2690 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1500/– शुल्क पर कमीशनर [illegible] किया जाता है। कमीशनर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना [illegible] नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 2/8/22 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:11:38 IST
Reason: SelfAttested